

राजस्थान राज—पत्र विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 23, मंगलवार, शाके 1938—मार्च 14, 2017 Phalguna 23, Tuesday, Saka 1938—March 14, 2017

भाग 5 (घ) भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विमाग अधिसूचना

जयपुर, मार्च 14, 2017

संख्या एफ.3(1)(4)/प्रथम/निर्वा/2016/डी—183 :—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

> डॉ. रेखा गुप्ता, विशिष्ट शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001

दिनांक : 14 मार्च, 2017 23 फाल्गुन, 1938 (शक)

अधिसूचना

संख्या 100/ईसीआई/क्षे./उत्तर-1/राजस्थान-वि.स./1/2017: यतः, राजस्थान राज्य की विधान सभा में, उस राज्य के 79-धौलपुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित, श्री बी.एल.कुशवाह का स्थान, उनके निरर्हित होने के परिणामस्वरूप 08 दिसम्बर, 2016 को रिक्त हो गया है:, और

2 यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप—निर्वाचन कराया जाना है:,

3 अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग इसके द्वारा —

(अ) राजस्थान राज्य में 79—धौलपुर विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 15 अप्रैल, 2017 (शनिवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों, के उपबन्धों के अनुसार उस राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे:,

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में ---

(क)		21 मार्च, 2017 (मंगलवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	22 मार्च, 2017 (बुधवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम	24 मार्च, 2017 (शुक्रवार)
	तारीख	
(ঘ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक	09 अप्रैल, 2017 (रविवार)
	हुआ तो मतदान होगा	8
(ভ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	15 अप्रैल, 2017 (शनिवार)
- 12	कर लिया जाएगा	

नियत करता है:, और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से, अविनाश कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001

<u>Dated: 14th March, 2017</u> 23 Phalguna, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/ECI/TERR./NOR-1/RJ-LA/1/2017: WHEREAS, the seat of Sh. B. L. Kushwah, in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from 79 - Dholpur Assembly Constituency, has become vacant on 8th December, 2016, by reason of his disqualification; and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. **NOW, THEREFORE,** in pursuance of sub-section (1) of section 150, and section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –
- (A) Calls upon the said 79 Dholpur Assembly Constituency in the State of Rajasthan, to elect, before the 15th April, 2017 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act

and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

- (B) appoints, with respect to the said election, -
- (a) the 21st March, 2017 (Tuesday), as the last date for making nominations:
- (b) the 22nd March, 2017 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 24th March, 2017 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 9th April, 2017 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 15th April, 2017 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; **and**
- (C) fixes the hours from 7.00 AM to 6.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By Order,
AVINASH KUMAR,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

Government Central Press, Jaipur.